



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

**Office Order No. 53 of 2024**

**Sub.: Approving Authority for the Cases of Payment for Additional Post Allowance (APA) to Railway Officers.**

It has been decided that henceforth the Approving Authority for the cases of payment for Additional Post Allowance (APA) to Railway Officers would be the concerned Cadre Controlling Member.

2. The above issues with the approval of CRB & CEO.

No.2024/O&M/2/6

Dated: 03.09.2024

(T.Srinivas)

Joint Secretary/Railway Board

Email id: [t.srinivas1@gov.in](mailto:t.srinivas1@gov.in)

Tele No.: 011-47845551

All Officers and Branches in Board's Office, COFMOW Building and at Dayabasti, New Delhi

Copy for information to:-

CRB, M/Infra, M/TRS, M/O&BD and MF  
DG/RHS, DG/HR and DG/RPF

Copy to:-

EDPG/MR, JDPG/MoSR(S), Sectt. of MoSR(R)

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

2024 का कार्यालय आदेश सं. 53


विषय: रेल अधिकारियों को अतिरिक्त पद भत्ते (एपीए) के भुगतान से संबंधित मामलों के लिए अनुमोदन प्राधिकारी।

यह विनिश्चय किया गया है कि अब से रेल अधिकारियों को अतिरिक्त पद भत्ते के भुगतान से संबंधित मामलों के लिए अनुमोदन प्राधिकारी संबंधित संवर्ग नियंत्रक सदस्य होगा।

2. इसे अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सं. 2024/ओएंडएम/2/6

नई दिल्ली, दिनांक: 03.09.2024



(टी. श्रीनिवास)

संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

ई मेल:-t.srinivas1@gov.in

फोन नं- 011-47845551

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएं।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सदस्य/अवसंरचना, सदस्य/कर्षण, सदस्य/परिचालन एवं व्यवसाय विकास और सदस्य वित्त, महानिदेशक/रेल स्वास्थ्य सेवाएं, महानिदेशक/मानव संसाधन और महानिदेशक/रेल सुरक्षा बल।

प्रतिलिपि प्रेषितः

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, संयुक्त निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (एस), सचिव/रेल राज्य मंत्री (आर)